महाराष्ट्र पेटर्न आरक्षण अधिकार संघर्ष समिति मध्यप्रदेश

बव बंजारा विमुक्त जाति युवा संघ मध्यप्रदेश रजि.03/27/03/14012/11
पता : 211 स्कीम नं. 71, सेक्टर डी रिंग रोड़ इंदौर (म.प्र.)
मो.नं. 9926462264, 9907364567
सहयोगी संगठन—आल इंडिया बजारा संघ, बजारा समाज संघ मध्यप्रदेश, बंजारा युवा संघ म.प्र.

क्रमांक 02 दिनांक 04/10/2016

प्रति,
माननीय शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन
भोपाल (म.प्र.)

द्वारा— कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश।

विषय :— महाराष्ट्र पेटर्न पर मध्यप्रदेश में विमुक्त और घुमन्तु जातियों को शिक्षा और राज्य सेवा (नौकरी) में विशेष संवैधानिक सुविधा देने बाबद्।

——000——

महोदयजी,

म.प्र. में विमुक्त घुमन्तु (बंजारा) जाति की लगभग 8000000 जनसंख्या निवासरत् है जिसमें बंजारा कालबेलिया, धनगर, बाछड़ा, सिकलीगर, बैरागी, नायक, नायकड़ा, सांसी गडरिया लोहार आदि जातिया आती है। इन जाति के लोग दुरस्थ गाँव एवं जंगलों मे रहते हैं जिस कारण मुख्य धारा से वंचित है भारत के संविधान में अनु. 14,15,16,29,30 एवं अनु.38,39,41,46 के द्वारा अत्यंत पिछड़े एवं दुर्बल जाति को मुख्य धारा से जोड़कर उनका जीवन स्तर उठाने हेतु प्रावधान है इसी क्रम में महाराष्ट्र शासन ने विमुक्त घुमन्तु जाति को अपने प्रशासनिक आदेश सा.प्र.वि.व.स.क.सी.बी. 1464—146669 18—2, 1960 के द्वारा विमुक्त जाति को 3 प्रतिशत तथा घुमन्तु जाति को 2.50 प्रतिशत शिक्षा और नौकरी में विशेष आरक्षण ओबीसी कोटे में से दिया है।

स्वतंत्रता के 60 वर्षो बाद भी इन जातियों कि स्थिति जस कि तस बनी है प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराजसिंह जी ने बमनाला (खरगोन) तथा रोशनी (खण्डवा) में सार्वजनिक मंच से इन जातियो को महाराष्ट्र पेटर्न पर आरक्षण देने कि घोषणा की ,किन्तु अभी तक शासन तथा सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके पूर्व भी कई बार सामाजिक संगठनों द्वारा आरक्षण कि आवाज उठाई गयी।

//2//

अतः साक्ष्य एवं मानवीयता के आधार पर हमारी मध्यप्रदेश सरकार एवं शासन से मांग निम्न प्रकार है –

1. विमुक्त एवं घुमन्तु जातियो को शिक्षा और नौकरी में महाराष्ट्र कि तर्ज पर 4 प्रतिशत पृथक आरक्षण दिया जाये।
2. व्यावसायिक शिक्षा हेतु छात्रवृति तथा प्रत्येक जिला एवं तहसील स्तर पर बालक एवं बालिकाओं के लिये छात्रावास बनायें जाये।
3. महामंडल और मंत्रालय का गठन कर पृथक बजट दिया जाये ताकि बेरोजगार युवाओं को व्यावसाय हेतु ऋण मुहय्या हो सके।
4. तांडा बस्ती विकास योजना लागू की जायें।
5. विमुक्त जाति प्रमाण पत्र बनाने में तेजी लायी जायें।
6. विमुक्त घुमन्तु जातियों का पृथक सर्वे कराकर आर्थिक शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति तथा जनसंख्या का पता लगाया जावें।
7. अनुसुचित जनजातियों को मिलने वाली समस्त सुविधा तथा हर योजना का लाभ विमुक्त घुमन्तु जातियों को मिले।

प्रतिलिपि–

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश शासन
2. प्रधानमंत्री भारत सरकार

आवेदक

समस्त विमुक्त घुमन्तु समाज मध्यप्रदेश
जिला विदिशा मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
विमुक्त ... एवं
अर्द्धघुमक्कड़ कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

जिला अध्यक्ष बंजारा ब्रिगेड जिला महामंत्री

सीताराम बंजारा कुन्दन सिंह नायक

लालबहादुर नायक राजाराम मंत्री

गोपाल नायक किशन सिंह नायक भूपेन्द्र सिंह बंजारा भीमा

जगदीश बंजारा

मोहन सिंह बंजारा

राजू बंजारा

महाराज सिंह बंजारा नीलेश

सीताराम नायक कुन्दन सिंह बंजारा

रनवीर सिंह रघुनाथ रमेश

श्री किशन

रमेश नायक मोहर सिंह शिवराज सिंह नायक

नारायण सिंह लालसाहब चित्रा सिंह कुन्दन सिंह